भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1552
उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019
ईडब्लयूएस मानदंड

1552. श्री रेवती त्रीपुरा:
डॉ. विजय कुमार दूबे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीएसई के पास दिल्ली/एनसीआर के उन विद्यालयों की जानकारी है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लयूएस) के मानदंडों का ठीक से पालन नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के उन निजी विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध सीबीएसई ने वित्तीय अथवा अन्य अनियमितताओं के संदर्भ में पूछताछ शुरू की है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा आयोजित करने वाला निकाय है, जो परीक्षा में निर्धारित मानदंडों तथा बोर्ड के संबद्धता उपनियमों को पूरा करने पर कक्षा X और XII के कोर्स की समाप्ति पर छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान करने के उद्देश्य हेतु स्कूलों का संबद्धन करता है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तथापि, बोर्ड ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों तथा बोर्ड के संबद्धता उप-नियमों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 31.05.2018 को परिपत्र सं. 07/018 जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18(1) में यथा निर्धारित संबंधित राज्य-संघ राज्य क्षेत्र सरकार से मान्यता प्रमाणपत्र की वैध प्रति उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि आरटीई अधिनियम, 2009 तथा राज्य शिक्षा अधिनियमों के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। अत: सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित सभी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्यक्षेत्र संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है।

(घ): पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के जिन प्राइवेट स्कूलों के विरूद्ध सीबीएसई द्वारा वित्तीय अथवा अन्य अनियमितताओं के संबंध में जांच शुरू की गई है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संबद्धन सं.	स्कूल का ब्यौरा	शिकायत की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1	230049	डीपीएस, कामरूप, असम	स्कूल द्वारा कोचिंग के लिए जोर दिया	सरप्राइज़ निरीक्षण समिति का गठन किया
2	230051	आरएनएस अकेडमी, गुवाहाटी, असम	स्कूल द्वारा कोचिंग के लिए जोर दिया	सरप्राइज़ निरीक्षण समिति का गठन किया
3	2130438	डीएवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, हापुड़	सीबीएसई मानकों से कम स्कूल भूमि	दिनांक 04.06.2019 के आदेशानुसार स्कूल असंबद्धता
4	2130198	होली एंजेल पब्लिक स्कूल, कवि नगर गाजियाबाद	अनाधिकृत छात्रों का प्रायोजन	दिनांक 05.12.2018 के आदेशानुसार स्कूल असंबद्धता
5	2130925	राणा पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	कक्षा-XI के अनुत्तीर्ण छात्रों को कक्षा XII की बोर्ड परीक्षा में दाखिल किया।	दिनांक 26.03.2018 के आदेशानुसार वरिष्ठ माध्यमिक से माध्यमिक स्तर पर पदावनति
6	2130807	एडम एंड ईव कॉन्वेंट स्कूल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	दो स्थलों पर स्कूल चलाना।	दिनांक 10.08.2018 के आदेशानुसार स्कूल असंबद्धन
7	2130030	एपीजी स्कूल, सेक्टर–16 ए, नोएडा, जीबी नगर, उत्तर प्रदेश	व्यावसायीकरण (कोचिंग कक्षाएं चलाना)	कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना है
8	2132757	एसपी कॉन्वेंट स्कूल, बेगम बाजार, बामरौली, इलाहाबाद, सदर, उत्तर प्रदेश-211012	स्कूल दिनांक 08.07.2018 की यूजीसी नेट पेपर II की परीक्षा को उचित ढंग से आयोजित करने में असफल रहा।	दिनांक 25.06.2019 के आदेशानुसार स्कूल असंबद्धन
9	2130438	डीएवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड	सीबीएसई के मानकों से कम	दिनांक 04.06.2019 के

		हापुड़	स्कूल भूमि	आदेशानुसार स्कूल असंबद्धन

*****